न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र कुमार ,आर जे एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी मूल प्रकरण संख्या–09/2022
एन.सी.वी. नंबर :–09/2022

राजकुमार व अन्य बनाम कृष्णचन्द व अन्य

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 10 एवं 151 सीपीसी

उपस्थितिः–
1. **श्री मोहम्मद असलम नौशाद**–विद्वान **अधिवक्ता**–प्रार्थीगण/प्रतिवादी स.1,2,4 व 5
2. **श्री नरेन्द्रसिंह कछावाहा –विद्वान अधिवक्ता** –अप्रार्थीगण/ वादीगण।

:: आदेश :: **दिनांक– 19.08.2026**

1. इस आदेश द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एस बी सिविल निगरानी याचिका संख्या 57/2026 पारित आदेश दिनांक 12.03.2026 की पालना में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1,2,4,5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 10 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 06.05.2022 में से धारा 10 सीपीसी के आवेदन पर उभय पक्षों को सुना जाकर निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं.1,2,4 व 5 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में उसके पिता कृष्ण चन्द्र आमेटा द्वारा दत्तक माता भूरीबाई पर विभाजन का वाद जिला न्यायालय में पेश किया जो दिनांक 17.10.2006 को खारिज किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भूरीबाई को सम्पत्ति हस्तांतरित नहीं करने बाबत् दिनांक 01.09.1989 को आदेश दिया था। उसके बावजूद सम्पत्ति हस्तांतरित की गयी थी। जिसके संबंध में क्रेतागण शांतिलाल व सुनील द्वारा एक वाद संख्या 186/11 एडीजे न्यायालय संख्या–2 में पेश किया था। एडीजे फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2006 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल प्रथम अपील संख्या 448/2008 से चुनौती दी गयी थी। जिसमें भूरीबाई द्वारा निष्पादित किए गए विक्रय पत्र को हस्तगत वाद के प्रतिवादी संख्या–1 की हद तक निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध वादी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक स्पेशल लीव टू अपील प्रस्तुत की तथा एक अन्य स्पेशल लीव टू अपील प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत की गयी। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्तिम रूप से यह तय होना है कि भूरीबाई द्वारा दौराने वाद एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद किया गया विक्रय विधिसम्मत है अथवा नहीं। माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा विवादित सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित उपर्युक्त प्रकरण की जानकारी वादी व प्रतिवादीगण को भली भॉति है इसके बावजूद उक्त तथ्यों का अंकन किए बिना वाद प्रस्तुत किया है, जबकि वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त मकान नम्बर –1 हाथी ठाण के संबंध में अन्तिम निर्णय पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक वादी के किसी भी सिविल अधिकारों का हनन नहीं माना जा सकता। उक्त हाथी ठाण के मकान के संबंध में ही वादी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लम्बित होने के बावजूद 1/8 हिस्सा सहदायिकी का क्लेम किया है जो कि वाद पत्र की कलम संख्या–5 के विरूद्ध है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वाद प्रीमेच्योर है। वादी द्वारा वाद पत्र मोगरवाडी स्थित डेढ बीघा जमीन के विक्रय से प्राप्त प्रतिफल में से 1/8 हिस्सा प्रत्येक पक्षकार का क्लेम किया है एवं विक्रय पत्र को निरस्त नहीं करने बाबत् निवेदन किया है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में विक्रय पत्र निष्पादित होने के पश्चात् सिविल वाद संख्या 33/20 एडीजे संख्या–4 में प्रस्तुत किया।

3. उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना अप्रार्थी प्रतिवादी को दिए जाने पर उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहा। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद की कार्यवाही रोके जाने के आदेश दिए जाने की प्रार्थना की। इसके विपरीत अप्रार्थी वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व में समान पक्षकारों के मध्य विवाद का लम्बित होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण से संबंधित पक्षकारों के मध्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद जो पूर्व में संस्थित किया गया हो लम्बित नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वाद पत्र में पक्षकार पृथक रहे थे। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

4. इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.01.2026 से उक्त आवेदन का पूर्व में निस्तारण किया गया था जिसके विरूद्ध प्रस्तुत एस बी सिविल निगरानी याचिका संख्या 57/2026 बअनवान कृष्णचन्द आमेटा बनाम राजकुमार आमेटा में पारित आदेश दिनांक 12.03.2026 के अनुक्रम में पुनः उभय पक्षों को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. वादी राजकुमार आमेटा द्वारा हस्तगत प्रकरण प्रतिवादी कृष्णचन्द आमेटा व अन्य के विरूद्ध वाद में वर्णित विक्रय कर दी गयी सम्पत्ति जिसका उल्लेख वाद पत्र की पद संख्या–6 में मोगरावाडी खांजीपीर की आराजी संख्या–9 की डेढ बीघा भूमि बाबत् अंकन किया गया है उक्त सम्पत्ति के प्रतिफल राशि के अपने हिस्से को प्राप्त करने

तथा अविभाजित सम्पत्ति मकान संख्या–1 नावघाट रोड सिटी पैलेस के पास, हाथी ठाण उदयपुर जिसके नाप व पडौस का उल्लेख वाद पत्र की पद संख्या–6 व 9 में वर्णित है, उक्त सम्पत्ति भवानीशंकर आमेटा की स्वअर्जित सम्पत्ति होकर प्रतिवादी संख्या–1 के पास पेतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य माप व सीमांकन द्वारा विभाजन करवाए जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या–1,2,4 व 5 की ओर से इस संबंध में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 10 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2026 से निस्तारित किया जा चुका है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन के संबंध में पुनः आदेश पारित किए जाने के निर्देश दिए है।

6. उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार वादीगण के पिता कृष्णचन्द आमेटा के द्वारा श्रीमती भूरीबाई पर विभाजन का वाद प्रकरण संख्या 240/2004 (85/1985) बअनवान कन्हैयालाल उर्फ कृष्णचन्द बनाम भूरीबाई जिला न्यायालय उदयपुर में प्रस्तुत किया गया था जिसे अपर जिला न्यायालय फास्ट ट्रेक संख्या–2 उदयपुर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 17.10.2006 से खारिज किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.10.2015 के अनुसार अपर जिला न्यायालय फास्ट ट्रेक संख्या–2 उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.10. 2006 के विरूद्ध वादीगण के पिता अर्थात प्रतिवादी संख्या–1 कृष्ण चन्द आमेटा द्वारा एस बी सिविल प्रथम अपील संख्या 448/2008 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर चुनौती दिए जाने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील में निर्णय पारित करते हुए अपर जिला न्यायालय फास्ट ट्रेक संख्या–2 उदयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.10.2006 को अपास्त करते हुए प्रतिवादी संख्या–1 कृष्ण चन्द आमेटा की अपील स्वीकार कर उसे अर्थात प्रतिवादी संख्या–1 कृष्ण चन्द आमेटा को स्व0भवानीशंकर आमेटा व स्व0 भूरीबाई द्वारा दिनांक 16.02.1956 को गोद लिए जाने से वादग्रस्त सम्पत्ति जिसके विभाजन का वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है को संयुक्त परिवार की पेतृक सम्पत्ति होना अवधारित करते हुए गोद पुत्र होने के नाते भूरीबाई द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 व 3 क्रमशः शांतिलाल व सुनील कुमार के हक में अकेले किए गए विक्रय को प्रतिवादी संख्या–1 अपीलार्थी कृष्णचन्द के हक अधिकार की सीमा तक अवैध घोषित किया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26. 10.2015 के विरूद्ध विशेष अनुमति अपील संख्या 17652/2016 व 17653/2016 जो क्रमशः सम्पत्ति के क्रेता शांतिलाल व सुनील कुमार सिंघवी तथा प्रतिवादी संख्या–1

वृष्ण चन्द आमेटा द्वारा प्रस्तुत की गयी थी जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित होना अभिलेख पर उपलब्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22.7.2016 व 21.04.2017 की प्रति से प्रकट होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पक्षकारों को आदेश पारित करने की दिनांक की वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वत्व व कब्जे की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु भी आदेशित किया गया है। इस संबंध में धारा 10 सिविल प्रक्रिया सहिता यह प्रावधान करती है किः–

<u>वाद का रोक दिया जाना</u> –कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य–विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के **या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्वतन संस्थित बाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा जहाँ ऐसा वाद उसी न्यायालय में या (भारत) में के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है या (भारत) की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में, जो (केन्द्रीय सरकार)'द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसी ही अधिकारिता रखता है, या उच्चतम न्यायालय, के समक्ष लम्बित है।**

6. इस प्रकार वादी द्वारा वाद पत्र की पद संख्या–9 में वर्णित जिस मकान संख्या–1 के विभाजन के संबंध में प्रार्थना की गयी है, उसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण पक्षकारान के मध्य सारतः और प्रत्यक्षतः उसी सम्पत्ति के संबंध में अधिकारों के निर्णय हेतु विवाद लम्बित होकर स्वत्व और कब्जे की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश अभिलेख पर उपलब्ध है। वादी जिस वादग्रस्त सम्पत्ति के विभाजन हेतु हस्तगत वाद न्यायालय के समक्ष लेकर उपस्थित हुए है वे कृष्ण चन्द आमेटा के पुत्र होने के नाते कृष्ण चन्द आमेटा को स्व. भवानीशंकर आमेटा व स्व. भूरीबाई का दत्तक पुत्र होने से प्रतिवादी संख्या–1 के वादग्रस्त सम्पत्ति में प्राप्त होने वाले अधिकारों के संबंध में विभाजन का दावा कर रहे है अथवा वादीगण के वादग्रस्त सम्पत्ति में हक, अधिकार प्रतिवादी संख्या–1 कृष्णचन्द आमेटा से व्युत्पन्न माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवाद लम्बित होकर स्वत्व व कब्जे की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश जारी होना प्रकट होता है। उक्त विवाद के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तक वादीगण जो स्वयं वादग्रस्त सम्पत्ति में अपने हक, अधिकार का दावा प्रतिवादी संख्या–1 कृष्णचन्द आमेटा के पुत्र होने के नाते वादग्रस्त सम्पत्ति के विभाजन हेतु उक्त वाद लेकर न्यायालय में उपस्थित हुए है उस वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में स्वयं प्रतिवादी संख्या–1 के स्व. भवानीशंकर व स्व. भूरीबाई के

दत्तक पुत्र होने के नाते हक, अधिकार का दावा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है। फलस्वरूप पक्षकारों के मध्य प्रत्यक्ष और सारतः वाद की विषय वस्तु वाद पत्र में वर्णित अनुसार वही सम्पत्ति रही है जिसके संबंध में पूर्व में वाद लम्बित होकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रकरण अधिकारों की घोषणा हेतु लम्बित होने से उक्त वाद की कार्यवाही रोके जाने हेतु प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–1,2,4 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6. अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–1,2,4 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद की कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुमति अपील संख्या 17652–17653/2016 के अन्तिम निर्णय तक रोके जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा प्रार्थना पत्र पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(नरेन्द्र कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
उदयपुर(राज.)

7. आदेश आज दिनांक 19.08.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
उदयपुर(राज.)